भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

18 MAR 2019

राजस्थान RAJASTHAN

AN 669024

न्यायालय सहायक कलेक्टर सिरोही (राज.)

सहायक कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी), सिरोही

बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री हॅसमुख कुमार ,आर.ए.एस

राजस्व वाद सं. 77/2017

फाईनल डिक्री

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
अमृतलाल पुत्र प्रागचन्दजी जाति जैन आयु 55 वर्ष निवासी कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही जरिये पांवर आफ एर्टोनी होल्डर कांतिलाल पुत्र रूपचंदजी जाति जैन आयु 66 वर्ष निवासी कालंद्री तहसील व जिला सिरोही		1– उम्मेदसिंह पुत्र जुजारसिंहजी 2–केसरसिंह पुत्र जुजारसिंहजी 3– लालसिंह पुत्र जुंजारसिंहजी 4– रामसिंह पुत्र जुजारसिंहजी 5– उतमसिंह पुत्र जुजारसिंहजी 6– रसालकंवर पुत्री जुजारसिंहजी 7– उगमबाई पत्नी जुजारसिंहजी 8– परबतसिंह पुत्र गुमानसिंहजी 9– प्रतापसिंह पुत्र गुमानसिंहजी 10– होजीबाई पुत्री गुमानसिंहजी 11– राजबाई पुत्री गुमानसिंहजी 12– अन्तराबाई पुत्री गुमानसिंहजी 13– जब्बरसिंह पुत्र भीखसिंहजी सभी जाति राजपूत निवासी कालंद्री तहसील व जिला सिरोही 14– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.)

Continue Page--

Signature Not Verified

Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:45:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 53 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत

इस न्यायालय मे रू ब रू हाजिर वादी की ओर से वकील श्री प्रमोदकमार दवें तथा प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री हुनरसिंह देवडा उपस्थित । इस न्यायालय द्वारा उक्त अनवान प्रकरण मे दिनांक 13–11–2017 को जारी प्राथमिक डिक्री की पालना मे तहसीलदार सिरोही ने जरिये पत्र कमांक राजस्व/2019/01 दिनांक 1–1–2019 के संलग्न वांछित बंटवाडा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस दो प्रतियों मे पेश किया है । आज दिनांक 17–8–2020 को उक्त प्रकरण की न्यायालय मे सुनवाई के दौरान वकील उभय पक्षकारान को उक्त बंटवाड प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस का अवलोकन करवाया गया । जिसकों उभय पक्षकारान को बताया व समझाया गया तो उभय पक्षकारान ने सहमति जाहिर करते हुये वादग्रस्त कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हक हिस्से अनुसार मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस को सही होना स्वीकार किया है। सभी पक्षकारान ने इस बंटवाड प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस को मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर सही होना स्वीकार किया । उक्त प्राप्त बंटवाड प्रस्ताव पक्षकारान के राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हक हिस्से अनुसार मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि अच्छी मेसे अच्छी तथा बुरी मेसे बुरी पक्षकारान के बीच उनके हक हिस्से अनुसार बंटवाड करने से उक्त बंटवाड प्रस्ताच विधिवत सही होने से न्यायालय द्वारा उक्त बंटवाड प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस को स्वीकार किया गया है।

उक्त बंटवाड प्रस्ताव अनुसार मौजा कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही के खाता संख्या 25 खसरा संख्या 460 रकबा 2.1500 हैक्टेयर किस्म बारानी 2 लगान रू 4.30 पै. का उक्त संयुक्त खातेदारी की वादग्रस्त कृषि आराजी .का विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है :–

क.सं.	नाम खातेदार	खसरानंबर	रकबा	किस्म	लगान
1–	अमृतलाल पुत्र प्रागचंद जैन सा.देह खातेदार	अं.नं. + 1 / 460	0.7100 हैक्टेयर	बारानी 2	1.42
	योग	01	0.7100 हैक्टेयर	–	1.42
2–	उम्मेदसिंह केसरसिंह लालसिंह रामसिंह उतमसिंह पि.जुजारसिंह रसालकंवर पुत्री जुजारसिंह उगमबाई पत्नि जुजारसिंह परबतसिंह प्रतापसिंह पि. गुमानसिंह होजीबाई राजबाई अन्तरबाई पुत्री गुमानसिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार	अं.नं. + 3 / 460	0.7200 हैक्टेयर	बारानी 2	1.44
	योग	01	0.7200 हैक्टेयर	–	1.44
3–	जब्बरसिंह पुत्र भीखजी जाति राजपूत सा.देह खातेदार	अं.नं. + 2 / 460	0.7100 हैक्टेयर	बारानी 2	1.42
	योग	01	0.7100 हैक्टेयर	–	1.42

Continue Page

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hasmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:45:32 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्तानुसार कृषि भूमि का विभाजन पक्षकारान के मध्य किया जाकर बंटवाड प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस अनुमोदित किया जाता है। तहसीलदार, सिरोही को उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात/अमल दरामद करने हेतु आदेश दिये जाते है।

आज दिनांक 31-8-2020 को फाईनल डिक्री मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व इस न्यायालय की गोल मुहर से नोन ज्युडिशियल स्टाम्प रूपये 100/-एक तथा एक टाईप पेपर पर कम्प्युटर टाईप कर अवलोकन के बाद हस्ताक्षर जारी की गई ।

सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

न्यायालय सहायक कलेक्टर सिरोही (राज०)

न्यायालय अधिकारी
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:45:32 IST
Reason: SelfAttested